सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 21, 2023

संख्या प.4(21)कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.10.2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, संगरिया के क्षेत्र में से पंचायत समिति, टिब्बी जिला हनुमानगढ की 29 ग्राम पंचायते क्रमशः सालीवाला, मल्लडखेडा, साबुआना, गुडिया, खाराखेडा, सहारणी, कुलचन्द्र, नाईवाला, बशीर, चन्दुरवाली, पन्नीवाली, पीरकामडिया, सूरेवाला, टिब्बी, सलेमगढ मसानी, शेरेकां, 2 केएसपी, 4 केएसपी, राठीखेडा, सिलवाला खुर्द, तलवाडा, मसीतावाली, बेहरवाला, डबलीकलां, मेहरवाला, मिर्जेवाली मेर, रामपुरा उर्फ रामसरा, डबलीखुर्द व चाहुवाली का समस्त क्षेत्र एवं इनमें अवस्थित गौण मण्डी यार्ड तलवाडा के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.04.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे पंचायत समिति, टिब्बी जिला हनुमानगढ की 29 ग्राम पंचायते क्रमशः सालीवाला, मल्लडखेडा, साबुआना, गुडिया, खाराखेडा, सहारणी, कुलचन्द्र, नाईवाला, बशीर, चन्दुरवाली, पन्नीवाली, पीरकामडिया, सूरेवाला, टिब्बी, सलेमगढ मसानी, शेरेकां, 2 केएसपी, 4 केएसपी, राठीखेडा, सिलवाला खुर्द, तलवाडा, मसीतावाली, बेहरवाला, डबलीकलां, मेहरवाला, मिर्जेवाली मेर, रामपुरा उर्फ रामसरा, डबलीखुर्द व चाहुवाली का समस्त क्षेत्र एवं इनमें अवस्थित गौण मण्डी यार्ड तलवाडा के समस्त क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.04.2023 के द्वारा अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, टिब्बी का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'द' श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः-</u>

1. श्री सुधीर कुमार गोदारा पुत्र श्री इन्द्राज गोदारा गावं सालीवाला त0 टिब्बी सामान्य

2. श्री देशराज बाजीगर पुत्र श्री ताराराम वार्ड 07 टिब्बी (अनु. जाति)

3. श्री मांगीलाल पुत्र श्री अमरसिंह सहारण गांव व पोस्ट तलवाडा झील तह0 टिब्बी (अन्य पिछडा वर्ग)

4. श्रीमती रेणु खद्दा पत्नी श्री विजय कुमार गावं बंशीर त0 टिब्बी (महिला)

5. श्री खुर्शीद आलम पुत्र श्री शहसवार निवासी राठीखेडा त0 टिब्बी (अल्पसंख्यक)

6. श्री नत्थूराम खिचड पुत्र श्री धनराज लूनावाली ढाणी पोस्ट डबली खुर्द (अन्य पिछडा वर्ग)

दलाल व व्यापारी वर्गः-

1. श्री रविन्द्र सिंह सेखो पुत्र श्री स्वराज सिंह सेखो, सेखो टेडर्स, धान मण्डी टिब्बी

स्थानीय निकाय प्रतिनिधि:-

1. श्रीमती सुखजीत कौर पत्नी श्री संदीप सिंह पार्षद वार्ड नम्बर 18 नगरपालिका टिब्बी

सहकारी विपणन सोसाइटी का प्रतिनिधि

1. श्री अरंविद कुमार विश्नोई पुत्र श्री जगदीश विश्नोई, अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरेकां तहसील टिब्बी

राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि:-

1. श्री पवन कुमार जांगिड पुत्र श्री नंदलाल जांगिड, वार्ड नं0 22 टिब्बी

माननीय विधायक:-

1. श्री अमित चाचाण माननीय विधायक नोहर

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, टिब्बी से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।